तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2476/2004/भीलवाड़ा** **रता बनाम लादू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री ओ0एल0दवे, अभिभाषक, प्रार्थी।
(2) श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी।

––

निर्णय **दिनांकः 01.10.2021**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा प्रकरण सं0 488/2002 में पारित आदेश दिनांक 01–03–2021 बउनवानी **''उदा बनाम भैरू''** के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन करने की इस्तदुआ की। वादी ने इस आराजी में अपना 1/3 हिस्सा विभाजन कराने का निवेदन किया। दौराने वाद तत्कालीन वादी की मृत्यु हो जाने से और निर्धारित समयावधि में वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लेने के कारण वाद दिनांक 28–7–1993 को अबैट कर दिया था। इस अबैटमेन्ट को निरस्त कराने के लिए आवेदन दिनांक 7–8–1993 को पेश किया गया जिस पर दिनांक 12–7–2000 को अबैटमेन्ट को निरस्त किया गया एवं मूल वाद को नंबर पर लेने का आदेश पारित हुआ। प्रकरण पहले उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के यहां विचाराधीन था जिसे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17–5–2000 के तहत उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ को स्थानान्तरित किया गया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ ने पक्षकारों को नोटिस जारी किये और प्रथम पेशी दिनांक 25–7–2002 दी गई, उसी दिन प्रतिवादीगण को जो सूचना भेजी गई उसमें नोटिस की पुश्त पर प्रतिवादी सं0 1 भैरू व प्रतिवादी सं0 2 रता की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही अन्दर मयाद प्रार्थना पत्र भैरू के वारिसान को रेकार्ड पर लेने एवं रता के कोई वारिस नहीं होने और लाऔलाद फौत होने से एक प्रार्थना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2476/2004/भीलवाड़ा** **रता बनाम लादू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	दिनांक 25–7–2002 को अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया जो विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा दिनांक 16–10–2003 को खारिज कर दिया गया जिस आदेश दिनांक 16–10–2003 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी के गुणावगुण पर सुनी। 4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी का आदेश कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादीगण द्वारा न तो आदेश 22 नियम 10–ए. सीपीसी के तहत प्रतिवादीगण के मरने की सूचना दी और न उनकी फैहरिश्त प्रस्तुत की। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत वाद में अन्य प्रतिवादीगण भी थे किन्तु उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही हो गई और उन्होंने जवाबदावा पेश नहीं किया था और दावा लड़ भी रहे थे। इसलिए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रार्थीगण गांव में रोजगार नहीं मिलने से बाहर मध्यप्रदेश में मजदूरी करने के लिए चले गये। इसलिए उनको गांव में किसकी मृत्यु हुई, इसकी जानकारी नहीं हुई और प्रार्थी अशिक्षित, भोले–भाले काश्तकार समुदाय के लोग है जिन्हें कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं है। फिर भी जानकारी होते ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में विधिक भूल की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि यह वाद बंटवारे से संबंधित है और बंटवारे का वाद कभी अबैट नहीं होता है क्योंकि इसमें वाद को चालू रखने का अधिकार हमेशा पक्षकारों में बना रहता है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–2003 निरस्त किया जावें तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 स्वीकार किया जाकर मृतक भैरू के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावें। 5– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के तर्को का विरोध करते हुए		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2476/2004/भीलवाड़ा** **रता बनाम लादू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	

कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सही खारिज किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित एवं कानून सम्मत निर्णय है। इसलिए प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया।

7– उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने दिनांक 16–10–2003 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 एवं धारा 5 परिसीमा मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किये जाते हैं।

मूल वाद के प्रतिवादी सं0 1 भैरू व प्रतिवादी सं0 2 रता की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र निर्धारित परिसीमा अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उनके विरूद्ध दावा वादी स्वतः अबैट हो चुका है तथा प्रार्थीगण द्वारा अबैटमेन्ट को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः वादी का दावा अबैट किया जाता है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा दिनांक 25–7–2002 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया गया कि मूल प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 भैरू के वारिसान को बजुमरे प्रतिवादीगण जोड़े जाने की आज्ञा प्रदान करावें। इसके साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद पेश कर निवेदन किया कि मूल वाद के अबैट होने के पश्चात् से मूल वाद के पंजीबद्ध होने तक में व्यतीत हुए समय को क्षमा प्रदान कर मृतक प्रतिवादी भैरू व रता के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

9– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा दिनांक 16–1–2003 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम को खारिज किया गया।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2476/2004/भीलवाड़ा** **रता बनाम लादू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	आदेश 22 नियम 10 ए0 सी.पी.सी. के तहत प्रतिवादीगण के मरने की तथा उनकी फेहरिश्त की सूचना वादीगण को नहीं दी गई। प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करने पर वादी का दावा अबैट हो जाने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रार्थी निगराकार द्वारा निगरानी में लिये गये आधार उचित प्रतीत होते हैं। 12– अतः न्यायहित में निगरानी स्वीकार की जाकर विलम्ब को क्षमा करते हुए 500/– कोस्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जाता है एवं मृतक प्रतिवादी भैरू व रता के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। 13– उभयपक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल में दिनांक 28–10–2021 को उपस्थित हो। 14– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**		